**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

 **राज्य सभा**

 **तारांकित प्रश्न संख्या-288**

**जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।**

**आन्ध्र प्रदेश को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध**

**कराया जाना**

**\*288. श्री वाई. एस. चौधरीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धरित की गई है?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*

**विवरण**

**"आंध्र प्रदेश को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 28.07.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 288 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

\*\*\*\*\*\*\*\*

**(क) से (ग)** **:** विद्युत एक समवर्ती सूचा का विषय होने के कारण, राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है । तद्नुसार, राज्य के उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत का प्रशुल्क भी उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रशुल्क निर्धारित करते समय उपयुक्त आयोग उपभोक्ताओं को वहन करने योग्य विद्युत उपलब्ध कराने सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है।

केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (सीजीएस) से विद्युत का आबंटन करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से आंध्र प्रदेश को आबंटन 1705 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 01 जुलाई, 2014 से 31 जुलाई, 2014 तक की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को इंदिरा गांधी एसटीपीएस, झज्जर से 177 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आबंटित की है।

\*\*\*\*\*\*\*\*